dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 1351/12-1 दिनांक , चकराता 14 अक्टूबर 2016

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
कालसी

विषयः– **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालसी के भवन निर्माण हेतु 0.95 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देरहरादून का पत्रांक–1008/एफ0पी0/यू0के0/एस0सी0एच0/18587/2015 दि0 23.09.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 का पत्रांक–968/X-4-16/1(105)/2015 दि0 15.09.2016 से जारी सैंद्धान्तिक स्वीकृति एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयांकित भवन के निर्माण के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो के अनुरक्षण पर व्यय।	2.00 है0	2,30,302.00	4,60,604.00
2	एन0पी0वी0	0.95 है0	6,57,000.00	6,24,150.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–4 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या– 1351 (1)/12-1 उक्त दिनांकित्।

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3255